झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

दशम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 11.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अशोक कुमार स0वि0स0	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् निर्गत किये गए राशनकार्ड में गोड्डा जिलान्तर्गत करीब 17 हजार राशनकार्ड में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है, जबकि उनके परिवार में कई और भी सदस्य है। जिनका कार्ड में नाम नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण ऐसे हजारों गरीब व्यक्ति सरकार द्वारा दिये जानेवाले लाभ से वंचित है। साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सैंकड़ो गरीब परिवार अभी तक राशनकार्ड से वंचित है। जबकि सैंकड़ों संपन्न एवं नौकरी पेशा वाले परिवारों को भी राशनकार्ड दे दिया गया है एवं वैसे संपन्न लोगों की पहचान कर उन्हें निर्गत किया गया राशनकार्ड कैंशिल करने की भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण राशनकार्ड से वंचित गरीब परिवारों में मायूसी है। वस्तुतः राशनकार्ड बनाने में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण सरकार की यह योजना सही तरीके से सफलीभूत नहीं हो रहा है। यह स्थिति गोड्डा जिला के साथ -साथ कमोबेस राज्य के अन्य जिलों में भी है। चूँकि सरकार की यह योजना समाज के अंतिम व्यक्तियों को लाभ पहुँचने हेतु महत्वाकांक्षी योजना है,	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		इसलिये वरीय पदाधिकारियों से इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए गहण जाँच कराया जाना आवश्यक है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए इसकी गहण जाँच कराकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत निर्गत किये गए राशनकार्ड में परिवार के छुटे हुए सदस्यों का नाम दर्ज कराकर उन्हें लाभ देने के साथ-साथ सुखी संपन्न लोगों का राशनकार्ड कैंसिल कराकर छूटे हुए वास्तविक लाभुकों को राशनकार्ड उपलब्ध कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
02-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	साहेबगंज जिला के बरहरवा प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन निर्माण का कार्य वर्ष-2007 में प्रारम्भ किया गया था, जो अबतक अधुरा है। साथ ही निर्माण कार्य में काफी घटिया सामग्री के उपयोग किये जाने से नव-निर्मित भवन के छत से पानी का रिसाव हो रहा है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहरवा के नये भवन का गुणवत्ता पूर्वक निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा निर्माण कार्य में बरते गये अनियमिता एवं विलम्ब के लिए दोषियों पर कार्रवाई करने हेतू मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
03	श्री अमित कुमार स0वि0स0	झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् सर्वप्रथम वर्ष 2008 में अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुई थी। फिर पुनः 14/07/2017 को नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, किन्तु इस विज्ञापन में आवेदन हेतु जो उम्र सीमा निर्धारित है, उससे राज्य के अधिसंख्य युवाओं का भविष्य दाँव में लग गया है। क्योंकि पिछली बार जब नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुई थी तब उनकी उम्र निर्धारित उम्र से कम थी और जब वर्त्तमान में नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुई है तो उन छात्रों की उम्र ज्यादा हो चुकी है और नियुक्ति हेतु आवेदन के	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

		लिए अयोग्य हो चुके है। झारखण्ड राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय न हो और बेरोजगारी के दंश से युवा न भटकें इसलिए वर्त्तमान में नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षो की बढ़ोतरी की जाय और नियुक्ति में यह सुनिश्चित की जाय कि झारखण्डी खतियान धारी और भाषा को जानने और बोलने वालों को नियुक्ति प्रथम प्राथमिकता के आधार पर की जाय। अतः राज्य के बेरोजगार युवाओं के हित में इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
04	श्री अनन्त कुमार ओझा एवं श्री अमित मंडल, स0वि0स0	साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा के तटवर्ती व दियारा क्षेत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। जिला के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज, राजमहल तथा उधवा का क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। आए दिन बंग्लादेशी घुसपैठी द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। घुसपैठियों के द्वारा क्षेत्र में जनसंख्या असंतुलन की समस्या उत्पन्न की जा रही है। साथ ही क्षेत्रीय भूमि को अतिक्रमित किया जा रहा है। राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड की स्थिति और भी दयनीय है, जो भविष्य में राज्य और राष्ट्र के लिए संकट पैदा कर सकती है। दैनिक समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से यह भी पता चलता है कि घुसपैठियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ में संलिप्ता दर्शायी गयी और संचालित है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित जिला के प्रखण्डों को राज्य और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सुरक्षित रखने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय, जिस ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराते है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
05	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद में एम0सी0आई के द्वारा नामांकन के लिए सीटों को घटा कर मात्र 50 (पचास) कर दिया गया। जिसका कारण संसाधन का अभाव् एवं प्रमुंख कारण फैक्ल्टी का नही होना बताया गया। फैक्ल्टी के लिए डाक्टर्स का प्रमोशन प्रोफेसर में करना आवश्यक है। जबकि सारी अहर्ता पूरी करने के बावजूद यहाँ तक कि डॉक्टरों को प्रोफेसर का	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

		तनख्वाह मिलने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। अतः मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द पी0एम0सी0एच0, धनबाद के डॉक्टरों को प्रमोशन कर फैकल्टी निर्माण किया जाए और पी0एम0सी0एच0, के अव्यवस्था को दूर कर पूरी सीट पर नामांकन करने की अनुमति देने का एम0सी0आई0 को निदेश देने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 11 अगस्त, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2426/वि0 स0, राँची, दिनांक- 10/08/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-44/2017-2426/वि0 स0, राँची, दिनांक- 10/08/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-